शिव

28-6-18 | पत्रावली प्रकरण कैम्प बलाई पेश हुई। प्रार्थी वकील उप० विप्रार्थी सं. 1 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

विप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 508/239 रकबा 48-13 बीघा मौजा केसरपुरा तह. शिव में स्थित है। प्रार्थी काश्त की सुविधा हेतु अपने खेत की सीमाओं के निर्धारण के लिए तथा खेत पड़ोसियों से विवाद से बचने के लिए उक्त भूमि की हदबन्दी करवाना चाहते हैं, जो की जावे।

सेवामें,

विप्रार्थी सं. 1 का निवेदन है कि उनके एवं प्रार्थी के मध्य सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है. प्रार्थी ने उन्हें दर्ज से जेरबार एवं परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है. जो खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार हैं तथा सम्भावित विवाद से बचने तथा अपने खातेदारी खेत की सीमाओं के निर्धारण के लिए उक्त भूमि की नेजमबन्दी करवाना चाहते हैं। विप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब व बहस में ऐसी कोई वजह प्रस्तुत नहीं की है. जिसके आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जा सके।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केसरपुरा तहसील शिव की खसरा नम्बर 508/239 रकबा 48-13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेजप स्थापित करते हुए नेजमबन्दी करने हेतु ILR शिव को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर ILR शिव को SHO शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। ILR शिव बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें तहरीर जावे हो पालना, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे।

पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

16-6
28/6

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner